नही की गयी है। अब सहमति विभाजन आज भी अस्तित्व मे है। अतः वादी न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वाद खारिज किया जाता है।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाद मे आपसी सहमति से बंटवारा पूर्व मे प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 22.12.2010 को किया जा चुका है। एवं उक्त सहमति विभाजन को स्वीकृत कर नामांतरण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। साथ ही उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल मे पूर्व मे भी दिनांक 16.6.2016 को निर्णीत किया जा चुका है। अतः विचाराधीन वाद प्राङ्न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 CPC स्वीकार किया जाता है। एवं आदेश दिये जाते है कि वादीगण का वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्तो से बाधित होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14-3-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner